

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, Dated : 16.02.2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on the share certificates of Rs. 12,51,87,58,000/- (One Thousand Two Hundred Fifty One Crore Eighty Seven Lac Fifty Eight Thousand only), to be allotted/issued by the Jaipur Metro Rail Corporation Ltd. in the name of H.E. Governor of Rajasthan, Rajasthan Housing Board and RIICO in pursuance of the decision taken in its 29th Board Meeting, shall be exempted.

[No.F.2(45)FD/Tax/09-77]

By order of the Governor,
sd/-

(Shankar Lal Kumawat)
Jt.Secretary to the Government

राजस्थान-सरकार


कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.
"पंजीयन-भवन", अजमेर

क्रमांक : एफ-7(40)जन/2017/3589-3619

दिनांक : 21/03/2017

निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लॉक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मुख्यालय अजमेर।
4. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जयपुर।
5. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
6. संयुक्त निदेशक (कंप्यूटर), मुख्यालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिसूचना को विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर तत्काल अपलोड करावें।
7. उप विधि परामर्शी मुख्यालय, अजमेर।
8. समस्त प्रभारी अधिकारी आंतरिक लेखा जांच मुख्यालय अजमेर।
9. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।


21-03-2017

(नन्नूमल पहाडिया)
महानिरीक्षक

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान-अजमेर